बलबीर बनाम नारायणसिंह प्र.स. 109/23

	आज्ञा पत्र	
.3.25	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21.3.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	अभिभाषक (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)
21.3.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	(मुहर: न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर)

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 109/2023

1 बलबीर सिंह आयु 47 साल पुत्र श्री आसुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टाटनवा तहसील धोद जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 नारायण सिंह पुत्र अमर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टाटनवा तहसील धोद जिला सीकर राज.।
2 तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आज्ञा 20.10.2023 श्री कुणाल राहड़ आरएएस उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर जिला सीकर अन्तर्गत राजस्व विविध आवेदन संख्या 44/2023 बउनवानी बलबीर सिंह बनाम नारायण सिंह आदि अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत आवेदन अ.धारा 10 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते आवेदन अस्थाई नि ोधाज्ञा खारिज किये जाने जिसमें आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 311 में अप्रार्थी संख्या 1 को मकान निर्माण की प्रकिया की हद तक स्थगन से मुक्त रखने के आदेश पारित फरमाने के विरूद्ध।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री इस्लामुद्दीन गौरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामसिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 21/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 44/2023 में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक किता दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं विभाजन अ.धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व दुरूस्ती इन्द्राजात अ.धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोद मुकाम सीकर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम टाटनवा पटवार हल्का भुवाला भू—अभिलेख निरीक्षण धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 44 रकबा 10.1800 हैक्टेयर, खाता संख्या 3 व 2 खसरा नम्बर 330 रकबा 8.5800 हैक्टेयर, खाता संख्या 4 व 3 खसरा नम्बर 152, 153, 311, 312, 343 कुल किता 5 कल किता 2 कुल रकबा 5.8300 हैक्टेयर, खाता संख्या 15 व 12 खसरा नम्बर 340 रकबा 3.0300 हैक्टेयर खाता संख्या 158, 320 वाके ग्राम टाटनवा पटवार हल्का भुवाला तहसील धोद जिला सीकर के सन्दर्भ में एक किता आवेदन अ. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ बउनवानी बलबीर सिंह बनाम नारायण सिंह आदि राजस्व विविधि आवेदन संख्या 44/2023 प्रस्तुत किये जाने पर माननीय अदालत उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजीयात के मौके व रिकार्ड के यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिनांक 19.06.2023 को पारित फरमाये गये बाद में उक्त आवेदन में अप्रार्थी संख्या—1 नारायण सिंह द्वारा एक किता आवेदन अ.धारा 10 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन में आज्ञा पारित करते हुए माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर द्वारा दिनांक 20.10.2023 को आज्ञा पारित करते हुए खसरा नम्बर 311 में अप्रार्थी संख्या–1 नारायण सिंह को मकान निर्माण की प्रकिया की हद तक स्थगन मुक्त रखने के आदेश पारित किये गये अतः माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर द्वारा दिनांक 20.10.2023 को आज्ञा पारित करते हुए खसरा नम्बर 311 में अप्रार्थी संख्या–1 नारायण सिंह द्वारा बनाये जा रहे मकान निर्माण की हद तक स्थगन से मुक्त रखे जाने के आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर द्वारा आज्ञा दिनांकित 20.10.2023 पारित करने से पूर्व इस स्थिति पर कोई विचार नहीं किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वर्णित आराजियात एवं खसरा नम्बर 311 के पक्षकारान संयुक्त खातेदार, काश्तकार व काबिज है इस स्थिति में बिना बंटवारा हुए नवीन निर्माण कार्य किसी प्रकार से कानूनन नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर द्वारा खसरा नम्बर 311 में अप्रार्थी को मकान निर्माण करने की हद तक स्थगन मुक्त रखने के आदेश की आड़ में अब अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नारायण सिंह मुख्य भूमि में सारभूत परिवर्तन करने एवं नवनिर्माण करने में लगा हुआ है यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने कुउद्देश्य में सफल हो गया जो अपीलार्थी को इस कदर असीम क्षति होगी जिसकी तलाफी किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं होगा। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से संपूर्ण अस्थाई निषेधाज्ञा को वैकेट नहीं किया गया है। केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 311 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्माणाधीन मकान की निर्माण की हद तक स्थगन से मुक्त करने का आदेश पारित किया गया है। शेष आदेश यथावत रखा गया है। इस आदेश से अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। धारा 212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। इस स्तर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विचाराधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से संपूर्ण अस्थाई निषेधाज्ञा को वैकेट नहीं किया गया है। केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 311 को निर्माणाधीन मकान की निर्माण की हद तक स्थगन से मुक्त करने का आदेश पारित किया गया है। शेष आदेश यथावत रखा गया है। प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। धारा 212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। इस स्तर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विचाराधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है किन्तु विचारण न्यायालय को दो माह की अवधि में प्रकरण का अंतिम निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि आगामी दो माह में उभयपक्ष को सुनकर धारा 212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 21/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर